राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 27/2025 प्रा0पत्र

अनवान

तेज सिंह पुत्र मोट सिंह उर्फ मोटा जाति रावत आयु 50 वर्ष निवासी ईशरजी का खेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थी

विरूद्ध

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... अप्रार्थी

उपस्थितिः—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चांप सिंह
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना मत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय दिनांकः— 30/10/25

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की आराजियात जमाबंदी ग्राम भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत् 2075—2078 में खसरा संख्या 3498 रकबा 0.1093 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रार्थी उन्नत व विकसित कर उपजाउ बनाना चाहते है एवं पाल डोल लगाना चाहते है परन्तु इस भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की स्थाई दिवार बनी हुई नहीं है जिससे उक्त आराजियात की सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरों की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम भीम पटवार हल्का भीम की नकल, जमाबंदी वर्ष 2077 में प्रार्थी सह खातेदार है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमंद)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत् 2075–2078 में खसरा संख्या 3498 रकबा 0.1093 है0 भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द